कार्यालय– उपजिलाधिकारी कालपी जनपद जालौन

पत्रांक– 341 /मत्स्य आखेट/नीलामी/2023–24 दिनांक :–04.09.2023

विषय :– मत्स्य आखेट नीलामी नदी आवंटन की विज्ञप्ति के सम्बन्ध मं।

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
लखनऊ उ0प्र0।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि तहसील कालपी जिला जालौन में मत्स्य आखेट हेतु नदी की नीलामी का आवंटन दिनांक– 25/09/2023 को तहसील कालपी मे किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति दो दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नक– विज्ञप्ति की 06 प्रति एवं सी0डी0 सहित।

ह0

उपजिलाधिकारी
कालपी

<u>कार्यालय– उपजिलाधिकारी कालपी जनपद जालौन</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

पत्रांक– 341 /मत्स्य आखेट/नीलामी/2023–24 दिनांक :– 04/09/2023

<u>मत्स्य आखेट नीलामी हेतु विज्ञप्ति</u>

सर्वसाणारण को सूचित किया जाता है कि रिट याचिका संख्या– 31309/2018/मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या– 01/2019/33/एक–2–2019–19 (रिट)/2018 दिनांक– 10 जनवरी 2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद जालौन की तहसील कालपी की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी की जलधारा में वर्ष– 2023–24 में पटटा आवंटन की दिनांक से लेकर दिनांक 31–08–2024 (प्रतिबन्धित अवधि 01 जून से 31 अगस्त को छोड़कर) तक मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी पर उठाये जाने की कार्यवाही के संम्बन्ध में नीलामी तिथि–25–09–2023 को पूर्वान्ह 11 बजे उपजिलाधिकारी कालपी के तहसील सभागार में सम्पन्न की जायेगी। यदि किसी कारण वस नीलामी दिनांक 25–09–2023 को नही हो पाती है तो नीलामी 29–09–2023 को पूर्ण की भांति ही की जायेगी। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला जालौन स्थान उरई के बेवसाईट **Jalaun-nic-in** पर देखी जा सकती है। उपजिलाधिकारी कालपी जनपद जालौन द्वारा पूर्ण रूप से संन्तुष्ट होने के उपरान्त नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारो महोदया जालौन स्थान उरई में निहित रहेगा।

(1) <u>तहसील कालपी जनपद जालौन</u> –

तहसील कालपी की सीमा में प्रवाहित यमुना नदी की जल धारा के अन्तर्गत खंण्ड–1 ग्राम जीतामऊ मुस्तकिल से ग्राम जीतामऊ दिवारा आंशिक आमने–सामने/आर–पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 5.380 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 10,78,000/–) (दस लाख अटठत्तर हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.08 लाख(एक लाख आठ हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड–2 ग्राम जीतामऊ दिवारा (आशिंक) से ग्राम सरैनी दिवारा तक आमने–सामने/आर– पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 15.090 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 19,52,500/–) (उन्नीस लाख बावन हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.95 लाख (एक लाख पन्नचानवे हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड–3 गाम पाल से नरहान दिवारा तक आमने–सामने/आर–पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 15.630 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 12,10,000/–) (बारह लाख दस हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.21 लाख (एक लाख इक्कीस हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते सेजो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड–4 ग्राम मगरौल मुस्तकिल से ग्राम शेखपुर बुल्दा तक आमने–सामने/आर–पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 13.540 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 17,76,500/–) (सत्तरह लाख छिहत्तर हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 1.78 लाख (एक लाख अठहत्तर हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड–5 ग्राम रायड़ से ग्राम गुलौली दिवारा तक आमने–सामने/आर–पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 5.000 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 04,07,000/–) (चार लाख सात हजार रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.41 लाख (इक्तालीस हजार रूपय मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

खण्ड–6 ग्राम मदरालालपुर से ग्राम इकौना तक (ग्राम मदरालालपुर मे लगभग 500 मीटर सूर्य मन्दिर से सूर्य कुण्ड तक की दूरी मे पटटे अवधि मे मत्स्य आखेट नही किया जायेगा) आमने–सामने/आर–पार (कानपुर देहात की सीमा भी सम्मिलित है) तक दूरी 10.750 कि0मी0 (न्यूनतम आरक्षित मूल्य 7,31,500/–) (सात लाख इकतीस हजार पांच सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.74 लाख (चौहत्तर हजार रूपय मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

कालपी तहसील परिक्षेत्रान्र्तगत ग्राम भेडीखुर्द से ग्राम सुनहटा तक प्रवाहित बेतवा नदी की जलघाराकी दूरी 39 कि0मी0 ह जिसमे पाराशर ऋषि आश्रम से चैली आश्रम तक का क्षेत्र छोडकर (न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 353100/–) (तीन लाख तिरेपन हजार एक सौ रूपये) नीलामी के पूर्व बोलीदाता को नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु जमानत धनराशि रू0 0.36 लाख छत्तीस हजार रूपया मात्र) का बैक ड्राफ्ट समिति के बैक खाते से जो कि मत्स्य विकास निधि जालौन स्थान उरई के नाम देय होगा/ जमा करना होगा।

तहसील कालपी जनपद जालौन मत्स्य आखेट नीलामी तहसील सभागार कक्ष दिनांक–25–'09–2023 में कराई जायेगी।

<u>मत्स्य आखेट पट्टा/नीलामी हेतु पात्रता की शर्ते</u>–

1–सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियों की पात्रता की वरीयता शासनादेश संख्या–1/2019/33/एक–2–2019–19 (रिट)/2018 दिनांक– 10 जनवरी 2019 के अनुसार होगी।

2–भाग लेने वाली समितियों को सम्बन्धित खण्ड की न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में पट्टा/नीलामी से पूर्व जमा करना होगा।

3–पट्टा/नीलामी से पूर्व सम्बन्धित तहसील से अदेयता प्रमाण–पत्र एवं मत्स्य विभाग से सक्रियता प्रमाण–पत्र देना होगा।

4–वरीयता प्राप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत भाग तत्काल जमा करना होगा एवं अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। वरीयता पाप्त समिति/सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। यदि समिति द्वारा ऐसा

नही किया जा सका तो नीलामी स्वतःसमाप्त मानी जायेगी और धनराशि राज्य सरकार के पक्ष मे जव्त कर ली जायेगी।

5–यदि सर्वोच्च बोलीदाता की नीलामी धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा नहीं करता तो उसके द्वारा जमा जमानत धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगो एवं द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता के नाम मत्स्य आखेट ठका देने हेतु विचार किया जा सकता है। खण्ड हेतु निर्धारित धनराशि सम्मपूर्ण जमा करने पर मत्स्य आखेट ठका की अनुमति प्रदान कि जायेगी तदोपरान्त स्टाम जमा करने पर अनुबन्ध पत्र जारी किया जायेगा।

6–मत्स्य आखेट हेतु तहसील कालपी में पट्टा/नीलामी दिनांक– 25–09–2023 से 31–08–2024 तक प्रतिबन्धित अवधि को छोड़कर) मान्य होगा नीलामी स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी महोदया जनपद जालौन में निहिंत होगा।

7–पटटे की नीलामी की समस्त धनराशि का लेन देन समिति के बैक खाते से ही मान्य होगा।

इस नीलामी हेतु सक्रिय मत्स्य जीवी सहकारी समितियां नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रतिभाग कर सकती है। विस्तृत जानकारी एवं शर्तो हेतु सहायक निदेशक मत्स्य जालौन स्थान उरई के कार्यालय रामकुण्ड परिसर उरई आकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है।

ह0

सहायक निदेशक मत्स्य
जालौन स्थान उरई

ह0

उपजिलाधिकारी
तहसील–कालपी
जनपद–जालौन